न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–284/15 **दायरा दिनांक :–11/09/2015**

1. कृष्णराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन चक 3 एस सी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..... **प्रार्थी**

बनाम्

1. अशरफ पुत्र सिकन्दर जाति राठ साकिन चक 4 के एस एल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शान खां
3. उस्मान खां
4. बरकतअली
5. लालमोहम्मद
6. नासिर खां

पिसरान श्री अल्लाबक्स अकवाम राठ साकिनान चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7. शकरा पुत्री अल्लाबक्स पत्नी सजवार खां जाति राठ साकिन चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. नाजरी पुत्री अल्लाबक्स पत्नी वेदअली जाति राठ साकिन चक 3 एस सी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. भारां पुत्री अल्लाबक्स पत्नी शौकतअली जाति राठ साकिन चक 5 एस सी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :–

1–सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक प्रार्थी।

2–लेखराज देरासरी अभिभाषक अप्रार्थी नं. 4

3– अशोक कुमार छाबड़ा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 3, 5, 8 ता 10

4– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 04/02/2020

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) कोलो एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 3 एम सी के खाता संख्या 16/14 के प0 न0 75/34(87) के किला नं. 6 ता 8, 14/1, व 15 = 1.126 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व किला नं. 8 में ढाणी बनाकर निवास करता है। उक्त रकबा में प्रार्थी आने जाने के लिए मंजूरशुदा रास्ता से होते हुए प0 न0 75/34(87) के किला नं. 3 से होते हुए अपने खेत में प्रवेश करता है जो किला नं. 3 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थीगण 2 ता 9 के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त किला से 0.013 है0 रास्ता लेना चाहता है व इसके बदले में डी. एल.सी. राशि देने को तैयार है। प्रार्थना दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 07/02/2018 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 फौत हो चुकी है उसके वारीस पूर्व में पक्षकार है जिसका निर्णय करते हुए दिनांक 16/03/2018 को अप्रार्थी सं. 2 का नाम तर्क किया गया दिनांक 14/09/2018 को अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 ता 10 की

और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया व शेष अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस मुकरर हुई तहसील कार्यालय से रिपोर्ट नहीं आने के कारण बहस नहीं सुनी गई तहसील रिपोर्ट आने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि चक 3 एम सी के खाता संख्या 16/14 के प0 न0 75/34(87) के किला नं. 6 ता 8, 14/1, व 15 = 1. 126 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व किला नं. 8 में ढाणी बनाकर निवास करता है। उक्त रकबा में जाने के लिए किला नं. 3 जो अप्रार्थीगण के नाम से होकर ही अपने खेत में आ–जा सकता है अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता मंजूर किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी प0 न0 75/34 के किला नं. 3 से आता–जाता नहीं है प0 न0 75/34 के किला 11, 12, 19, 20, 21, 22 की भूमि प्रार्थी की पत्नी मायादेवी के नाम है जिसके दक्षिणी पासा मुरब्बा लाईन के साथ साथ पूर्व–पश्चिम रास्ता चल रहा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस का मनन किया गया पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/रास्ता/1864 दिनांक 23/12/2019 से स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा में जाने के लिए प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किये है जिसमें प्रार्थी की पत्नी के नाम रकबा अंकित है लेकिन उक्त रकबा में भी रास्ता नहीं है। जो मुश्तरके खाते का रकबा है व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा में भी कोई रास्ता चिन्हित नहीं है। काश्तकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व अप्रार्थीगण के रकबा को पूर्ण करते हुए न्यायहित में रास्ता दिया जाना उचित है।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 3 एम सी के प0 न0 75/34(87) के किला नं. 3 में 0.013 है0 पश्चिम साईड रास्ता स्वीकृत किया जाता है जो अप्रार्थीगण के नाम से कलमजन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे व इसके एवज में प्रार्थी के खाता से प0 न0 75/34 के किला नं. 8 में 0.013 है0 उत्तरी पासा रकबा अप्रार्थीगण के नाम मुताबिक हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना में तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के नाम अलग से पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:52:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: